श्री उपसभापतिः श्री पी. एल. पुनिया। ...**(व्यवधान)**... पुनिया जी, आप बोलिए।

श्री पी .एल. पुनियाः माननीय उपसभापति जी, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। NDRF के कुछ नॉर्म्स हैं। राजस्थान और बाकी प्रदेशों में बेमौसम की तेज बारिश से जो नुकसान होता है, केंद्र सरकार की जो अधिसूचित आपदा सूची है, उसमें बेमौसम की बरसात से हुआ नुकसान शामिल नहीं है। क्या आप इसको भी उस सूची में सम्मिलित करके ऐसे लोगों को राहत पहुंचाने का काम करेंगे?

श्री राधा मोहन सिंहः राष्ट्रीय आपदा की जो सूची थी, उसमें अतिवृष्टि पहले भी शामिल नहीं था और आज भी नहीं है, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद एक परिवर्तन यह किया गया कि राज्यों को यह अधिकार दे दिया गया कि अतिवृष्टि के अलावा भी, यदि कोई स्थानीय आपदा है, तो कैबिनेट बैठ कर उसको नोटिफाई कर सकती है और उसमें भी राष्ट्रीय आपदा के नॉर्म्स के मुताबिक सहायता की जा सकती है।

Disbursing compensation to kin of farmers

*213. SHRI ANIL DESAI: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government is showing laxity in disbursing compensation to the kin of farmers who committed suicide due to distress in agriculture sector, if so, the details thereof, State-wise; and

(b) by when Government would disburse compensation to the kin of farmers through State Governments?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI RADHA MOHAN SINGH): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Disbursement of compensation to the kin of farmers who committed suicide due to distress in agriculture sector is not covered under any specific program of Government of India. However, Agriculture, including agricultural indebtedness, being a State subject, the State Governments take appropriate measures for development of agriculture in the State, including payment of compensation to the bereaved families of suicide victims. Some of the State Governments *viz.* Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana, Punjab, Karnataka etc. are administering schemes, which include payment of compensation/relief to kin of farmers who committed suicide due to distress in agriculture sector. The information has been sought from all States on the question. As reported by Government of Maharashtra, there is no laxity in payment of compensation. Government of Uttarakhand has reported that no suicide case of farmer is reported in the State. Government of Andhra Pradesh replied that

compensation has been paid to families of the farmer who committed suicide in all cases from 2012 to 2014. For the year 2015 and 2016, out of reported suicide cases of 104 farmers, compensation has been paid in 73 cases and remaining 31 cases are pending for final verification reports from Districts.

In last 2 years, Government of India has launched a number of schemes to alleviate the distress of agriculture sector. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) has been launched to reduce the risk in agriculture and scope of interest subvention scheme for provision of agriculture credit has been enhanced.

SHRI ANIL DESAI: Sir, thank you. Huge losses suffered by the farmers community of Maharashtra and other States due to drought spell in the last Kharif season has not yet been made good fully by the Centre. Sir, demands and detailed reports to this effect, surveys conducted by the Central Team and the State Government Team have been submitted to the Centre. But response from the Centre has not been satisfactory. Sir, under the Crop Insurance Scheme, this was the reply given last year on the floor of the Maharashtra State Assembly by the Agriculture Minister, that in Kharif season, Maharashtra alone out of 82.5 lakh farmers who have paid premiums under the Crop Insurance Scheme, only 71.5 lakh farmers were made eligible for claiming insurance on losses. The losses amounting to ₹ 4,205 crore were compensated and sanctioned. Ultimately, the payment of ₹ 3,656 crore were paid to the farmers. But 11 lakh farmers were declared ineligible under the scheme. May I know from the hon. Minister, through you, what will be the fate of 11 lakh farmers who were kept out of the Crop Insurance Scheme, and left high and dry?

श्री राधा मोहन सिंहः महोदय, राहत एक अलग विषय है और फसल बीमा योजना अलग विषय है। फसल बीमा योजना में जो लोनी हैं या जो गैरलोनी भी हैं, वे अपना प्रीमियम देते हैं। मेरी जानकारी में अभी तक पिछले वर्ष तक का केंद्र का जितना अंश होना चाहिए था, वह सभी राज्यों को भुगतान कर दिया गया है।

यदि माननीय सदस्य का मूल सवाल यह होता, तो मैं महाराष्ट्र का पूरा चित्र उनके सामने रखता कि आज तक का उसका क्या हिसाब है। जो जानकारी है, उसके अनुसार पिछले वर्ष तक का जितना भी केंद्रांश है, वह राज्यों को दे दिया गया है।

जहां तक राहत का सवाल है, फसल बीमा योजना में लागत की भरपाई होती है और राहत के लिए राज्य आपदा कोष में पैसे भेज दिए जाते हैं। यदि किसी राज्य में कोई और गंभीर आपदा हो गई, तो राज्य सरकार केंद्र सरकार को मेमोरेंडम भेजती है, जिसके लिए यहां से टीम जाती है। मैं समझता हूं कि आज तक के इतिहास में पिछले वर्ष सबसे बड़ी सहायता, के रूप मे 4000 करोड़ रुपये महाराष्ट्र को दिए गए। इस बार भी महाराष्ट्र का मेमोरेंडम हमारे पास आया है, जिस पर HLC विचार कर रही है। अभी कुछ जानकारी ऐसी है, जो वहां से नहीं आई है, इसलिए उनसे जानकारी मांगी गई है। जब हमारे पास जानकारी आ जाएगी, तो केंद्र सरकार, HLC उस पर विचार करेगी और इसके जो नॉर्म्स हैं, उनके मुताबिक सहायता की जाएगी।

SHRI ANIL DESAI: My second supplementary is this: It has been recently reported that the hon. Supreme Court had passed stringent remarks on the apathy being shown by the Government and public sector banks in particular, in extending loans to the farmers. The Swaraj Abhiyan, an NGO, had filed a petition in this regard. The hon. Supreme Court has expressed its concern on this issue.

Sir, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, which is supposed to be a boon to the farmers against the crop losses they suffer, has also come under severe criticism, so also the new scheme which is being evolved. Here, exceptions or reservations have been expressed by many stakeholders particularly, the farmers community about the manner in which it has been designed, that it suits the insurance companies more than the farmers, the stakeholders.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please put your question.

SHRI ANIL DESAI: There is a difference between the premium and the sum insured and also the coverage. The other provisions which have been made are very good. As far as the minimum premium to be paid by the farmers and maximum coverage is concerned, the insurance companies have designed policies which are not to the advantage of farmers.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please put your question.

SHRI ANIL DESAI: May I know from the hon. Minister through you, Sir, what steps would be taken by the Government to see that this defect or deficiency in the Pradhan Mantri Yojana is removed?

श्री राधा मोहन सिंहः उपसभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि इस बार प्रीमियम का रेट सबसे कम रखा गया है, रबी के लिए डेढ़ प्रतिशत और खरीफ के लिए दो प्रतिशत रखा गया है। आज तक के इतिहास में यह सबसे कम प्रीमियम है और जो फसल बीमा में विसंगतियां थीं, उन सबको दूर किया गया है। पहले यह व्यवस्था थी कि जब फसल की कटाई हो जाती थी, उसके बाद यदि फसल खेत में पड़ी रही और उसका नुकसान हुआ, तो उसकी भरपाई नहीं होती थी, इस बार यह व्यवस्था की गई है कि यदि वह 14 दिन तक भी खेत में पड़ी हुई है और उसका प्राकृतिक आपदा में नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई की जाएगी। यह योजना इतनी लोकप्रिय हुई कि मैं माननीय सदस्य को उदाहरण देना चाहूंगा कि कर्णाटक राज्य में पिछले वर्ष 8.72 लाख किसानों ने बीमा कराया था, अभी चार दिन पहले जानकारी मिली है कि इस वर्ष अभी तक वहां 12 लाख किसान बीमा करा चुके हैं। इसी तरह से झारखंड में पिछली बार 5.36 लाख किसानों ने कराया था, इस बार अभी तक 7.5 लाख किसानों ने कराया है। इसी तरह गुजरात में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष दुगुनी संख्या में किसानों ने अभी तक बीमा कराया है। यह 10 अगस्त तक का है और सभी राज्यों ने, मैंने पहले भी बताया, कि अभी पंजाब के अंदर तो इसे करते नहीं, लेकिन बिहार को अगर छोड़ दें, चूंकि बिहार अभी तैयार नहीं हो रहा है, जैसा कि आज अखबारों में खबर मिली है कि वहां के मुख्य

मंत्री इसके लिए तैयार नहीं हैं, बाकी लगभग सभी राज्यों ने नोटिफिकेशन करके, जो तीन-चार राज्यों का था, जैसे तमिलनाडु, केरल में चुनाव के कारण थोड़ा विलंब हुआ, नहीं तो बाकी सभी राज्यों ने शुरू कर दिया है और बड़ी तेजी से किसान अपना फसल बीमा योजना करा रहे हैं, जो सर्वाधिक लोकप्रिय है।

श्री दिग्विजय सिंहः उपसभापति महोदय, यह प्रश्न पूर्णतया आत्महत्याओं से संबंधित होते हुए भी क्रॉप इंश्योरेन्स को बीच में डाल दिया गया। आज देश के हालात, किसानों के हालात बिगड़े हुए हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार किसानों को 50 प्रतिशत से ज्यादा उनकी लागत का भाव देने का वायदा किया गया था, जिस पर सरकार मुकर गई है। इस देश में 76 प्रतिशत किसानों की जो आत्महत्याएं हो रही हैं, वे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्णाटक, मध्य प्रदेश और केरल में हो रही हैं। इसमें एक अंडर-रिपोर्टिंग का भी प्रयास रहता है कि राज्य सरकार चाहती है कि इसे किसानों की आत्महत्या न बता कर कोई और कारण बताया जाए और मध्य प्रदेश सरकार के एक माननीय मंत्री जी के विधान सभा में दिए एक उत्तर में तो महा हद हो गई, जब कहा गया कि भूत-प्रेत के कारण उनकी आत्महत्या हुई है, किसान की खेती खराब हो जाने की वजह से नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ **...(व्यवधान)...**

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Mr. Deputy Chairman, Sir, the Madhya Pradesh Minister is not in the House ...(*Interruptions*)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: I have not named him.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: How can the Assembly proceedings be mentioned in this House? ...(*Interruptions*)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: This is a reported case ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will go through the record and expunge it if it is so ...(*Interruptions*)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, I have not named the person.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You cannot cast aspersions on the Assembly proceedings ...(*Interruptions*)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: I am not casting aspersions. This is a statement which has been made in the Vidhan Sabha in reply to a question. This is as per the rules. I have not violated any rule. मेरा आपसे यह अनुरोध है कि क्या राज्य सरकारों या केंद्र सरकार उन किसानों को, जिन किसानों ने खेती में असफल हो जाने के कारण आत्महत्या की है, उनके लिए कोई विशेष योजना बना रही है?

श्री राधा मोहन सिंहः महोदय, माननीय सदस्य ने अच्छी बात कही है कि स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश की थी कि लागत का 50 फीसदी से अधिक किसान को मिलना चाहिए। उसी रिपोर्ट के आधार पर 2007 में उस समय भारत की जो सरकार थी, माननीय तत्कालीन प्रधान मंत्री जी

यहां बैठे हैं, तो एक किसान नीति उस समय की भारत सरकार ने बनाई थी। उसने स्वामीनाथन आयोग के इस सुझाव को रिजेक्ट कर दिया।

श्री दिग्विजय सिंहः आपने वादा किया था। ...**(व्यवधान)**...

श्री राधा मोहन सिंहः मैं बता रहा हूँ। ...**(व्यवधान)**... आप मेरी बात सुनिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री दिग्विजय सिंहः आपने चुनावी घोषणा-पत्र में वादा किया था। ...**(व्यवधान)**...

श्री राधा मोहन सिंहः आप आगे सुनिए। तो उसे आपने रिजेक्ट कर दिया था। जब हम सरकार में आए हैं, तो हमने अपने घोषणा-पत्र में भी कहा है और आज भी हमारे प्रधान मंत्री और मैं बोल रहा हूँ कि हम किसानों की आमदनी लागत से डेढ़ गुना नहीं, दो गुना तक ले जाएँगे। ...**(व्यवधान)**... इसके लिए हमने योजना बनाई है। ...**(व्यवधान)**...

श्री दिग्विजय सिंहः सर ...**(व्यवधान)**... दोगुना करने की बात नहीं कही थी। ...**(व्यवधान)**... लागत का 50 प्रतिशत ...**(व्यवधान)**...

श्री राधा मोहन सिंहः आपके समय में इस आयोग की रिपोर्ट आई। ...**(व्यवधान)**... उसे आपने रिजेक्ट किया। ...**(व्यवधान)**... हम उस आधार पर काम कर रहे हैं और उसके लिए हमने कई प्रकार की योजनाओं का निर्माण किया है। इस पर आप अलग से चर्चा करा सकते हैं।

सर, जहां तक किसान आत्महत्या करते हैं, उनके लिए सहायता का जो सवाल है, तो यह राज्य का विषय है और राज्यों ने यह काम शुरू भी किया है। मैं आपकी जानकारी में यह बात देना चाहता हूँ कि ऐसे जो राज्य हैं, उनमें पंजाब 25 जुलाई, 2015 तक 2 लाख रुपये प्रति किसान देता था, अब वह 3 लाख रुपये प्रत्येक मृतक किसान के परिवार को देता है। आंध्र प्रदेश 5 लाख रुपये का मुआवजा देता है, तेलंगाना की सरकार ने भी इसे 1 लाख रुपये से बढ़ा कर 5 लाख रुपये किया है। कर्णाटक ने मृतक किसान के परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को 1-1 लाख रुपये की राशि दी है। इसी तरह से महाराष्ट्र सरकार 1 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देती है। मैं आपकी भावनाओं के साथ स्वयं को सम्बद्ध करते हुए सभी राज्यों से निवेदन करता हूँ कि वे इस दिशा में जरूर कार्रवाई करें।

श्रीमती छाया वर्माः सर, छत्तीसगढ़ का बताइए। ...**(व्यवधान)**... छत्तीसगढ़ में कितनी राशि दी गई है? ...**(व्यवधान)**...

DR. PRABHAKAR KORE: Sir, Karnataka is third, as far as farmers' suicides are concerned. First, I think, is Maharashtra; second is Andhra Pradesh; and third is Karnataka. Sir, there was no crop at all in the last two years and there was complete drought in the State. As a result, the number of farmers' suicides has increased. As the hon. Minister just said, the State Government gives a compensation of just ₹ 1 lakh. I want to know whether the Government of India is planning to give some more compensation to the farmers.

Sir, the Prime Minister's Fasal Bima Yojana is really a revolutionary scheme. But some horticulture crops like grapes, sugarcane, etc., are not included in it. I want

to know whether the Government of India is planning to include these horticulture crops in it because horticulture crops get damaged with climatic conditions. Is it possible to include it in the Prime Minister's Fasal Bima Yojana?

श्री राधा मोहन सिंहः महोदय, 'फसल बीमा योजना' में राज्यों को यह अधिकार है कि हर राज्य की प्रकृति अलग-अलग है, वहां अलग-अलग फसलें और फल पैदा होते हैं, तो किन फसलों का होगा। फलों के लिए अलग से भी मौसम-आधारित 'कृषि बीमा योजना' है, लेकिन किस फसल का हो, किस फल का हो, यह राज्य सरकार notify करती है।

जहां तक अनुग्रह राशि का सवाल है, यह काम राज्य सरकारें करती हैं। मैं पुनः कहूँगा और राज्यों से मेरा निवेदन है, चूँकि यह राज्य का विषय है, कि इस दिशा में सभी राज्य सरकारों को प्रयत्न करना चाहिए।

श्री रवि प्रकाश वर्माः सर, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हिन्दुस्तान में विपरीत परिस्थितियों के कारण किसानों को आत्महत्या करनी पड़ रही है और यह बहुत ही दुखद है।

सर, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि कृषि क्षेत्र में आई विपत्तियों के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों के परिजनों को मुआवजा देने के विषय को भारत सरकार के किसी विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया है। तो भारत सरकार जिम्मेदारी से बच गई है और राज्य सरकारों पर यह डाल दिया है। माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि किसी राज्य में 1 लाख, किसी में 2 लाख तो किसी में 5 लाख का compensation दिया जा रहा है। सर, जो किसान मर रहे हैं, उन पर बड़े ऋण रहते हैं, कर्ज रहते हैं। तो यह पता नहीं चल पा रहा है कि बाद में उनके बच्चों की क्या दुर्गति हुई, वह जमीन को सम्भाल पाए, कर्ज को सम्भाल पाए, कर्ज को चुका पाए या नहीं चुका पाए। यह बहुत चिन्ता का विषय है और जो किसान निराशा के शिकार हैं, क्या उनकी काउंसलिंग कराये जाने की जरूरत आपको नहीं लगती और जो समितियां हैं, जहां पर किसान बैठ कर आपस में interact करते हैं, वहां पर कोई ऐसी एजेंसी खोली जाए? मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि अभी तक यह क्लियर नहीं हो रहा है कि कुल कितने किसानों ने आत्महत्याएँ की हैं, तो authentic way में यह पता लग जाए कि कितने किसानों ने आत्महत्याएँ की हैं। सर, इसलिए मुझे बार-बार यह लग रहा है कि इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई नीति होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इन चीजों का इंदराज करते हुए, जो परिवार प्रभावित हुए हैं, उनकी जो दुर्दशा है, उससे बचाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, उनको इससे उबारने के लिए मुआवजा देने का कोई specific प्रयास राष्ट्रीय स्तर पर कृषि नीति में कर पाएंगे?

श्री राधा मोहन सिंहः महोदय, राज्यों को हमने जो निर्देश जारी किया है, उसके तहत आत्महत्या करने वाले जो किसान हैं, उनके जो परिवार हैं, उनकी जागरुकता और काउंसिल की बात है और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कई राज्यों ने इस काम को बड़ी तेजी से प्रारंभ किया है। जहां तक आत्महत्या करने वालों की संख्या का सवाल है, यह हमें गृह मंत्रालय से प्राप्त होता है। 2014 का आंकड़ा मेरे पास है। 2014 में जो आत्महत्याएं हुई हैं, यदि आपकी अनुमति हो, तो मैं इसको पढ़ दूं।

2014 में 5,650 किसानों ने आत्महत्या की है, 6,110 कृषि श्रमिकों ने आत्महत्या की है। इस तरह

से वर्ष 2014 में कुल 12,360 आत्महत्याएं हुई हैं। इसके साथ ही पूरे देश में जो आत्महत्याएं हुई हैं, उनमें किसान, कृषि श्रमिक तथा अन्य भी शामिल हैं, उनकी संख्या 1,31,666 है। ...**(व्यवधान)**...

श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या यह 2014 का आंकड़ा है?

श्री राधा मोहन सिंह: महोदय, मैंने पहले कृषि कारणों से किसान की आत्महत्या की संख्या के बारे में बताया, फिर कृषि श्रमिकों की आत्महत्या की संख्या के बारे में बताया। दोनों का टोटल 12,360 है। पूरे देश में जितनी आत्महत्याएं हुई, जिनमें सिर्फ कृषि से संबंधित नहीं है, बल्कि इनमें जनरल यानी सारे मामले शामिल हैं, उनकी संख्या, जो गृह मंत्रालय ने दी है, वह 1,31,666 है। ...**(व्यवधान)**...

श्री रवि प्रकाश वर्मा: सर, बाकी लोग जो आत्महत्या कर रहे हैं, उनके इश्यूज़ अलग हैं, लेकिन किसानों के इश्यूज़ अलग हैं। हम आपसे खास तौर से किसानों के संबंध में जानना चाहते हैं कि अब तक cumulative अलग-अलग वर्षवार कितने लोग मर गए हैं और उनका क्या हुआ?

श्री राधा मोहन सिंह: महोदय, मैंने एक वर्ष का बताया और यदि आज़ादी से लेकर आज तक का आंकड़ा चाहिए, तो मैं यह गृह मंत्रालय से उपलब्ध करके माननीय सदस्य को भिजवा दूंगा, लेकिन एक साल का मैं बता रहा हूँ। ...**(व्यवधान)**...

श्री रवि प्रकाश वर्मा: सर, जो किसान मर गए हैं, मेहरबानी करके उनके कर्ज माफ करा दीजिए। आज इस चीज की विशेष आवश्यकता है।

श्री राधा मोहन सिंह: महोदय, यह नारा अच्छा है, लेकिन जब तक किसानों की आमदनी नहीं बढ़ेगी, तब तक किसान अपने संकटों से मुक्त नहीं होगा। कर्ज के लिए व्यवस्था है, restructuring होती है और समर्थन मूल्य भी बढ़ता रहता है, लेकिन इन्हीं दोनों से किसान का भला होगा, इसी सोच में देश के किसान बरबाद होते चले गए। इसलिए किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, इस पर भी फोकस करना है और मैं चाहूंगा कि इसकी जितनी योजनाएं चल रही हैं, उनमें अपने-अपने राज्यों में सब सहयोग करें ताकि किसान का भला हो।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Question No. 214. Shri A. K. Selvaraj, Hon. Member, not present. Are there any supplementaries?

*214. [The questioner (SHRI A. K. SELVARAJ) was absent.]

Scheme for parity in pension of serving and retired staff of BSNL

*214. SHRI A. K. SELVARAJ: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government has approved a scheme for Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) employees which will ensure parity in pension between the serving and the retired staff;

(b) whether the decision will benefit over 1.18 lakh pensioners across the country;